सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 173 राँची, गुरुवार, 2 चैत्र, 1938 (श०)
23 मार्च, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

25 जनवरी, 2017

कृपया पढ़ें :-

1. उपायुक्त, कोडरमा का पत्रांक-182/स्था०, दिनांक 29 फरवरी, 2016
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का आदेश सं०-7872, दिनांक 9 सितम्बर, 2016 एवं संकल्प सं०-8073, दिनांक 19 सितम्बर, 2016
3. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-102, दिनांक 4 नवम्बर, 2016

संख्या-5/आरोप-1-109/2016 का.- 865-- श्रीमती गुंजन कुमारी सिन्हा, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा, सम्प्रति- निलंबित, मुख्यालय- प्रमंडलीय

आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची के विरूद्ध उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-182/स्था०, दिनांक 29 फरवरी, 2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्रीमती सिन्हा दिनांक 5 सितम्बर, 2015 से बिना सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित हैं । इस संबंध में विभागीय पत्रांक-2860, दिनांक 4 अप्रैल, 2016 द्वारा श्रीमती से स्पष्टीकरण की माँग की गई । कई स्मार के बाद इनके द्वारा पत्र, दिनांक 20 जुलाई, 2016 द्वारा सूचित किया गया कि कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने की वे अपेक्षा रखती हैं, परन्तु योगदान करने संबंधी निश्चित तिथि का उल्लेख उनके द्वारा नहीं किया गया । अतः समीक्षोपरांत विभागीय आदेश सं०-7872, दिनांक 9 सितम्बर, 2016 द्वारा श्रीमती सिन्हा को निलंबित करते हुए विभाग स्तर से इनके विरूद्ध प्रपत्र- 'क' का गठन किया गया । प्रपत्र-'क' में इनके विरूद्ध गठित आरोप का सार निम्नवत् है:-

1. श्रीमती गुंजन कुमारी सिन्हा, झा०प्र०से०, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा को इनके आवेदन, दिनांक 17 अगस्त, 2015 के आलोक में विभागीय पत्रांक- 8171, दिनांक 10 सितम्बर, 2015 द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2015 से 19 सितम्बर, 2015 तक के लिए निजी व्यय पर अपने पति के पास सिंगापुर जाने हेतु अनुमति दी गयी थी, परंतु इनके द्वारा अवकाश पर सिंगापुर जाने के पूर्व अपने नियंत्री पदाधिकारी उपायुक्त, कोडरमा को न तो सूचना दी गयी और न ही मुख्यालय छोड़ने हेतु अनुमति प्राप्त की गयी ।

2. श्रीमती सिन्हा दिनांक 5 सितम्बर, 2015 से अपने कर्तव्य स्थल से बिना सूचना एवं अनुमति के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं ।

3. श्रीमती सिन्हा का यह कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 के प्रावधानों के प्रतिकूल है ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं०- 8073, दिनांक 19 सितम्बर, 2016 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-102, दिनांक 4 नवम्बर, 2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जो निम्नवत् है-

(1) आरोपी का कथन है कि उन्होंने विदेश जाने तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति हेतु उपायुक्त, कोडरमा को आवेदन दिया था । उक्त आवेदन पर उपायुक्त, कोडरमा ने स्थापना उप समाहर्त्ता, कोडरमा को अग्रसारित करने हेतु पृष्ठांकित आदेश दिया था तथा आवेदन कार्मिक विभाग को अग्रसारित भी किया था । उनके पृष्ठांकन तथा अग्रसारण पत्र के पश्चात् इस आरोप का कोई औचित्य नहीं है कि इन्होंने उपायुक्त को सूचित किये बिना मुख्यालय छोड़ा । आरोपी पदाधिकारी के आवेदन, दिनांक 12 अगस्त, 2015 में उपायुक्त, कोडरमा से निम्नवत् अनुरोध किये गये थे-

(क) दिनांक 5 सितम्बर, 2015 को सार्वजनिक अवकाश, दिनांक 6 सितम्बर, 2015 एवं 13 सितम्बर, 2015 को रविवारीय अवकाश उपभोग करने की स्वीकृति । (ख) दिनांक 7 सितम्बर, 2015 से 12 सितम्बर, 2015 तक आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति । (ग) दिनांक 5 सितम्बर, 2015 से 13 सितम्बर, 2015 तक मुख्यालय छोड़ने की अनुमति । (घ) सिंगापुर जाने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु कार्मिक विभाग को आवेदन का अग्रसारण ।

(2) उपायुक्त, कोडरमा द्वारा आरोपी के आवेदन को अनुशंसा सहित अग्रतर कार्रवाई हेतु कार्मिक विभाग को किये गये अग्रसारण को आरोपी द्वारा उपायुक्त की स्वीकृति मान ली गयी। आरोपी को मुख्यालय छोड़ने से पूर्व विधिवत् सार्वजनिक एवं रविवारीय अवकाश का उपभोग करने, आकस्मिक अवकाश का उपभोग करने एवं मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति उपायुक्त से प्राप्त करने के उपरान्त ही मुख्यालय का परित्याग करना चाहिए था । कार्मिक विभाग द्वारा सिर्फ सिंगापुर जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी । आवेदन में अन्य वांछित स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी थी । अतः आरोपी के विरूद्ध अवकाश पर सिंगापुर जाने के पूर्व अपने नियंत्री पदाधिकारी को सूचना नहीं देने तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त नहीं करने का आरोप प्रमाणित होता है ।

(3) आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि कार्मिक विभाग से अनुमति प्राप्त होने के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप सिंगापुर के लिए रवाना हो गयी, परंतु सिंगापुर में बीमार पड़ जाने के कारण ससमय योगदान नहीं कर पायीं । इनका कहना है कि अत्यधिक अस्वस्थ रहने की वजह से उनके द्वारा अवकाश को विस्तारित करने का अनुरोध नहीं किया जा सका ।

(4) इस प्रकार, परिस्थिति चाहे जो भी रही हो, परंतु ये स्वीकार कर रही हैं कि अवकाश की आवेदित अवधि की समाप्ति के पश्चात् दिनांक 14 सितम्बर, 2015 से दिनांक 14 सितम्बर, 2016 तक बिना सूचना के अनुपस्थित रही हैं । चूँकि आरोपी के द्वारा सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये बगैर मुख्यालय का परित्याग किया गया तथा आवेदित अवधि बीत जाने के बावजूद दिनांक 14 सितम्बर, 2015 से दिनांक 14 सितम्बर, 2016 तक ये बिना सूचना के अनुपस्थित रहीं, अतः दिनांक 5 सितम्बर, 2015 से कर्तव्य स्थल से अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति का आरोप प्रमाणित होता है ।

उक्त तथ्यों के अतिरिक्त संचालन पदाधिकारी द्वारा विशेष टिप्पणी की गयी है कि कतिपय निजी समस्याओं के कारण श्रीमती सिन्हा की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति प्रतिकूल रहने के फलस्वरूप अवकाश बढ़ाने का आवेदन नहीं दिया जा सका ।

श्रीमती सिन्हा के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव बयान तथा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत विषयगत आरोपों के लिए इन्हें भविष्य में सचेत रहने की

चेतावनी देते हुए निलंबन से मुक्त किया जाता है । इनके निंलबन अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-97(1)(क)(ख) के तहत् निम्नवत् विनियमित किया जाता हैः-

(I) निलंबन अवधि की गणना मात्र पेंशनादि के प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में की जायेगी,

(II) निलंबन अवधि में श्रीमती सिन्हा को मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 173--50